

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक:- 595/11-सी-FP/UP/TRANS/21318/2016, लखनऊ: दिनांक: अगस्त 20, 2017

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
जालौन साठवा० प्रभाग,
उरई।

विषय:-

765 के०वी०डी०सी० उरई-अलीगढ़ पैकेज टी०ई० 06 पारिषण लाईन के निर्माण में प्रस्तावित जालौन वन प्रभाग की 0.268 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवैधानिकी प्रयोग एवं मार्ग पटरियों पर खड़े प्रभावित 05 वृक्षों के पतन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झाँसी का पत्रांक-1024/33-1, दिनांक 25.08.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में पुनः निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का निराकरण नहीं किया गया है जिसके कारण प्रस्ताव को उच्च स्तर पर प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं है-

- 1- आनलाईन भाग-2 में क्षतिपूरक बनीकरण हेतु चयनित स्थल के Geo Refferenced Digital Map के स्थान पर पुनः प्रस्तावित वनभूमि के Geo Refferenced Digital Map की के०एम०एल० अपलोड की गई है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः आनलाईन भाग-2 में क्षतिपूरक बनीकरण हेतु चयनित स्थल के Geo Refferenced Digital Map की के०एम०एल० अपलोड करें।
- 2- आनलाईन भाग-2, क्रमांक-13(i) में क्षतिपूरक बनीकरण के प्राक्कलन की धनराशि एवं पैच वाइज डिटेल में क्षेत्रफल व अन्य विवरण त्रुटिपूर्ण फीड किया गया है।
- 3- प्रस्ताव के साथ संलग्न सी०डी० में प्रस्तावित वनभूमि के Geo Refferenced Digital Map की पी०डी०एफ० फाइल तथा एस०ओ०आई० टोपोशीट की पी०डी०एफ० फाइल नहीं है।
- 4- आनलाईन प्रस्ताव में अपलोड किये गये सभी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित ही अपलोड किये जायें।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,
(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- /11-सी-FP/UP/TRANS/21318/2016/दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झाँसी।
- 2- मुख्य प्रबन्धक, उप केन्द्र/पारिषण लाईन निर्माण, निकट कालपी बस स्टेण्ड उरई।

कार्यालय वन संरक्षक बुन्देलखण्ड वृत्त झाँसी
पत्रांक 1303/33-1 दिनांक 06-09-2017
प्रतिलिपि उप वन संरक्षक जालौन से उपरोक्त पत्र मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
उक्त में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि लगायी गयी
आपादेयता का निराकरण उर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध
उत्तम सुनिश्चित उर/स्व अपने अधिकार प्रतिलिपि द्वारा
अधिकार नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ से प्रस्ताव प्राप्त
करा ले /

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त उ०प्र०, झाँसी